राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, राजस्थान, जयपुर

अपील संख्या :–664 / 2025
राम कुमार डोटासरा

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. संयुक्त निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर जोन बीकानेर।
4. जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, बीकानेर।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 08.09.2025

उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री प्रमेन्द्र बोहरा, अभिभाषक
प्रत्यर्थीगण की ओर से : श्री हेमन्त परमार, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– लेखराज तोसावड़ा, सदस्य
असलम मेहर, सदस्य

आदेश

1. इस अपील में अपीलार्थी ने यह तथ्य अंकित किये हैं कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति आदेश दिनांक 31.07.1989 (अनुलग्नक–1) से पंचायत समिति लूणकरणसर, जिला बीकानेर द्वारा अध्यापक के पद पर की गई थी। आदेश दिनांक 21.08.1996 (अनुलग्नक–2) के द्वारा जिला परिषद् बीकानेर के द्वारा नियुक्ति तिथि से चयनित मानते हुए आदेश प्रसारित किया गया।
2. पंचायत समिति बीकानेर के आदेश दिनांक 08.11.1996 के द्वारा अपीलार्थी की सेवाओं का स्थाईकरण दिनांक 10.08.1989 से किया गया।
3. राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.01.1992 के तहत् उसे प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ वर्ष 1989 से उसकी सेवा के 9, 18 एवं 27 वर्ष पूर्ण होने पर प्रदान किया गया, परन्तु उसे यह लाभ उसकी स्थाईकरण तिथि 10.08.1989 से प्रदान नहीं कर दिनांक 21.08.1996 से प्रदान किया गया, जो नियमानुसार नहीं है।
4. आदेश दिनांक 02.12.2016 से अपीलार्थी को राजस्थान अधीनस्थ सेवा नियम 1971 के नियम 25 के तहत वरिष्ठ अध्यापक (सामाजिक विज्ञान) के पद पर पदोन्नति प्रदान की गई।

5. अपीलार्थी की सेवाएं 9, 18 एवं 27 वर्ष पूर्ण होने पर उसे प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ उसकी चयनित तिथि दिनांक 10.08.1989 से प्रदान किया जाना चाहिए था, जबकि आदेश दिनांक 21.08.1996 से उसकी सेवाएं प्रथम नियुक्ति तिथि से चयनित की गई थी एवं आदेश दिनांक 08.11.1996 से उसकी सेवाएं उसकी प्रथम नियुक्ति तिथि दिनांक 10.08.1989 से स्थाई भी कर दी गई।

6. अपीलार्थी को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ भी उसे उसकी प्रथम चयनित एवं स्थाईकरण तिथि दिनांक 10.08.1989 से प्रदान किया जाना चाहिए था, जबकि उसे अपीलार्थी को 9, 18 एवं 27 वर्ष की सेवाएं पूर्ण करने पर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ उसकी प्रथम चयनित तिथि से नहीं दिया गया। इस संबंध में विद्वान् अधिवक्ता द्वारा अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी को 9, 18 एवं 27 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर दिनांक 10.08.1989 से प्रदान किया जावे। अपीलार्थी का प्रकरण भूराराम साहरण एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य (Reported in 2013(3)(DR-1581)Raj.) में पारित एकलपीठ के आदेश दिनांक 05.07.2013 के विरूद्ध राज्य सरकार द्वारा डीबी स्पेशल अपील रिट संख्या 44/2016 में पारित आदेश दिनांक 18.04.2016 माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में पारित आदेश से आवृत्त (Covered) है।

7. अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जावे एवं प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि अपीलार्थी की सेवाओं की गणना दिनांक 10.08.1989 से करते हुए उसे प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ दिनांक 10.08. 1989 से प्रदान किया जावे एवं आदेश दिनांक 01.09.2010 (अनुलग्नक–4), दिनांक 06.04.2016 (अनुलग्नक–5) एवं दिनांक 04.07.2024 (अनुलग्नक–6) को अपास्त उस हदतक किया जावे कि उसे चयनित वेतनमान का लाभ की गणना दिनांक 10.08.1989 से की जावे न कि दिनांक 21.08.1996 से की जावे एवं समस्त पारिणामिक लाभ भी उसी तिथि से प्रदान किया जावे।

8. प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि अपीलार्थी को पूर्णतया अस्थाई आधार पर नियुक्त किया गया एवं उसकी सेवाएं दिनांक 21.08.1996 से चयनित की गई। अतः अपीलार्थी चयनित वेतनमान का लाभ दिनांक 21.08.1996 से ही प्राप्त करने का अधिकारी है। अतः प्रस्तुत अपील सव्यय खारिज की जावे।

9. प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि अपीलार्थी को पूर्णतया अस्थाई आधार पर नियुक्त किया गया एवं उसकी सेवाएं दिनांक 21.08.1996 से चयनित की गई। अतः अपीलार्थी चयनित वेतनमान का लाभ दिनांक 21.08.1996 से ही प्राप्त करने का अधिकारी है। अतः प्रस्तुत अपील सव्यय खारिज की जावे।

10. हमने अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थीगण के विद्वान् अधिवक्ताओं की बहस ध्यानपूर्वक सुनी तथा अभिलेख पर उपलब्ध तमाम सामग्री का अनुशीलन कर मनन किया।

11. प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों और अभिलेख से यह स्पष्ट रूप से प्रकट होता है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ ने एस.बी.सिविल रिट पिटिशन संख्या 2843/2015 प्रमोद कुमार शर्मा बनाम, प्रारम्भिक शिक्षा एवं अन्य तथा120 याचिकाओं में पारित आदेश दिनांक 09.12.2015 में ऐसे प्रकरणों के संबंध में निम्नांकित आदेश प्रदान किये है :–

> *"So far as judgment of Apex Court in the case of State of Rajasthan & Ors. Vs. Jagdish Narian Chaturvedi (supra) is concerned, there Apex Court denied the benefit of selection scale by counting length of service from the date of adhoc/temporary appoinment. Those were the case where regularization of service was not from the intial date of appointment. In absence of it, length of service was ordered to be counted from the date of regular appointment. The facts in this case are different. Herein, regularization of service of the petitioners is fromt the intial date of appointment. In view of abobe, judgement of the Apex Court does not help the repondents rather goes adverse to them. If services of the petitioners would not have been regularized from the intital dated of appointment because in that case, period prior to regualrization of service would have remained adhoc. The position of fact herein is otherwise. The regularization of service of the petitoner is from the intial date of appointment and the date of regularization has been mentioned in the orders. In view of above, the petitioners are entitled to get benfit of selection scale by counting their service from the date it is regularized.*
>
> *In view of above, orders passed by the respondents adverse to the petitioners either for rejecting their representation or for withdrawal of the benefit of selection scale are quashed. In all these petitons, a directions is given to the respondent to give benefit of selection scale by counting length of service of the petitoners from the date, it is regularized and indicated in the order of regularization itself. If the order of regularization does not indicate the date from which regularization is made or it is not given from initial date of service this order could not apply to those cases.*

All these writ petitons are allowed witht he aforsaid. The comliance of the judment would be made within a period of four months form the date of reciept of copy of this order."

12. इस संबंध में भूराराम साहरण एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य (Reported In 2013(3)(DR-1561 Raj.) में पारित एकल पीठ के आदेश दिनांक 05.07.2013 के विरूद्ध राज्य सरकार द्वारा डीबी स्पेशल अपील रिट संख्या 44/2016 में पारित आदेश दिनांक 18.04.2016 में माननीय उच्च न्यायालय ने निम्नांकित आदेश पारित किए हैः—

In the instant case before us, the employee was intially appointed as teacher in Zila Parishad Jodhpur vide order date 15-04-1989 regularizing service of each of the employee/teacher from the respective dates which has been indicated in the order and obviously that is to be considered the date of their regular appointment.

On a specific question put to counsel as to whether the order date 15-04-1989 has ever been modified, counsel on instructions submits that the order pusuant to which the service of the employee/ teacher has been regularized still holds the field and not modified at all.

The order date 15-04-1989 clearly indicates that each of the employee had been considered to be reuglarly appoined in the respective cadre from the date indicated in the order and became member of service and the makes each of the meployee entitled for grant of selection scale on comptetion of 09-18-27 years of service.

We do not find any reasons for the govt. in filing special appeal when the issue remain no more re integra in the light of controversy finally settled by the Apex Court mandatin the Govt. to consider the case of each of the employee for grant of selection scale from the date of their regular appointment abvoiusly the date from which the employee became member of service.

After we hve heard counsel at length, we do not find substance in the instant special apeal.

Consequently, the special appeal being devold of merit accordingly dismessed."

13. अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति आदेश दिनांक 31.07.1989 (अनुलग्नक—1) से पंचायत समिति लूणकरणसर, जिला बीकानेर द्वारा अध्यापक के पद पर की गई थी एवं आदेश दिनांक 21.08.1996 (अनुलग्नक—2) के द्वारा उसकी सेवाएं उसकी प्रथम नियुक्ति तिथि दिनांक 10.08.1989 से चयनित कर आदेश दिनांक 08.11.1996 के तहत् दिनांक 10.08.1989 से स्थाई कर दी गई। इसके अतिरिक्त अपीलार्थी को राज्य सरकार के आदेश दिनांक 25.01.

1992 की अनुपालना में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ उसे दिनांक 10.08.1989 से प्रदान न कर दिनांक 21.08.1996 से प्रदान किया गया है, जो हमारे मत में नियमानुसार नहीं है। हमारे मत में जब अपीलार्थी को प्रत्यर्थी विभाग द्वारा उसकी प्रथम नियुक्ति दिनांक 10.08.1989 से नियमित एवं स्थाई कर दिया गया, तो उसे चयनित वेतनमान का लाभ की गणना भी उसकी प्रथम चयनित/स्थाईकरण तिथि से ही की जानी चाहिए। ऐसी स्थिति में उसे चयनित वेतनमान का लाभ उसकी स्थाईकरण तिथि से प्रदान नहीं करना न्यायोचित नहीं है। अतः हमारे मत में अपीलार्थी प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ दिनांक 10.08.1989 से उसकी सेवाओं की गणना करते हुए प्राप्त करने का अधिकारी है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भी उक्त निर्णयों में प्रथम नियुक्ति तिथि दिनांक से ही सेवाओं की गणना करते हुए चयनित वेतनमान का लाभ दिए जाने के आदेश दिए है। ऐसी स्थिति में हमारे मत में अपीलार्थी की अपील स्वीकार किए जाने योग्य है।

14. परिणामस्वरूप अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती है तथा प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जाते है कि अपीलार्थी की सेवाओं की गणना दिनांक 10.08.1989 से करते हुए उसे प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ प्रदान किया जावे एवं आदेश दिनांक 01.09.2010 (अनुलग्नक–4), दिनांक 06.04.2016 (अनुलग्नक–5) एवं दिनांक 04.07.2024 (अनुलग्नक–6) को अपास्त उस सीमा तक किया जाता है एवं अपीलार्थी को चयनित वेतनमान का लाभ की गणना दिनांक 10.08.1989 से की जावे न कि दिनांक 21.08.1996 से, एवं समस्त पारिणामिक लाभ भी उसी तिथि से प्रदान किये जावें। इस आदेश की पालना 3 माह में किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

(असलम मेहर)
सदस्य

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

AP/-